



न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) प्रकरण संख्या- अपीलडि./टीए/2474/2003/भरतपुर

कठेरु पुत्र मेली मृतक जरिये वारिसान-

1. विजय सिंह पुत्र कठेरु
2. सामंती बेवा कठेरु समस्त जाति जाटव निवासी नगला तेहहियां, मजरा मडौली तहसील व जिला भरतपुर
3. शिवदेई पुत्री कठेरु पत्नी महेन्द्र जाति जाटव निवासी नगला विद्यापुर तहसील किरावली जिला मथुरा
4. ओमवती पुत्री कठेरु पत्नी सागर जाति जाटव निवासी नगला विद्यापुर तहसील किरावली जिला मथुरा
5. मछला पुत्री कठेरु पत्नी बनेसिंह निवासी खानवा तहसील रूपवास जिला भरतपुर

-अपीलार्थीगण

बनाम

1. रमेश पुत्र हुकमा
2. देवा पुत्र हुकमा
3. भूपेन्द्र पुत्र लीला
4. कुमरपाल पुत्र लीला
5. रामेश्वर पुत्र लीला
6. चमेली बेवा हुकमा समस्त जाति जाटव निवासी मडौली तहसील व जिला भरतपुर

-प्रत्यर्थीगण

(2) प्रकरण संख्या- अपीलडि./टीए/2475/2003/भरतपुर

कठेरु पुत्र मेली मृतक जरिये वारिसान-

1. विजय सिंह पुत्र कठेरु
2. सामंती बेवा कठेरु समस्त जाति जाटव निवासी नगला तेहहियां, मजरा मडौली तहसील व जिला भरतपुर
3. शिवदेई पुत्री कठेरु पत्नी महेन्द्र जाति जाटव निवासी नगला विद्यापुर तहसील किरावली जिला मथुरा
4. ओमवती पुत्री कठेरु पत्नी सागर जाति जाटव निवासी नगला विद्यापुर तहसील किरावली जिला मथुरा
5. मछला पुत्री कठेरु पत्नी बनेसिंह निवासी खानवा तहसील रूपवास जिला भरतपुर

-अपीलार्थीगण

बनाम

1. देवा पुत्र हुकमा
2. रमेश पुत्र हुकमा

3. भूपेन्द्र पुत्र लीला
4. कुमरपाल पुत्र लीला
समस्त जाति जाटव निवासी मडौली तहसील व जिला भरतपुर
-प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री प्रदीप विश्नोई, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री भवानी सिंह, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 07.03.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों अपीले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 321/2001 एवं 194/2001 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28-04-2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. दोनों प्रकरणों के तथ्य विवाद बिन्दू एवं विवादित भूमि के समान होने एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही अपीलाधीन निर्णय से किये जाने के कारण इन दोनों अपीलों का निस्तारण विद्वान अधिवक्तागण की सहमति से एक साथ किया जा रहा है, निर्णय प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

3. दोनों प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण प्रत्यर्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण के पूर्वज कढेरू व किशनसिंह के विरुद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के तहत ग्राम मढौली

स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 273 रकबा 06बीघा भूमि बाबत् प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी के हुकमा व बुद्धी खातेदार थे, जो फौत हो गये है, जिनके वारिसान वादीगण है। आराजी खसरा नम्बर 273 से हाल खसरा नम्बर 393, 394, 395 एवं 296 बने है, जिनमें से 396 पर वादीगण की खातेदारी अंकित कर दी किन्तु खसरा नम्बर 393, 394 एवं 395 पर प्रतिवादीगण को खातेदार दर्ज कर दिया, जो कतेई काश्त के खिलाफ है। अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर हाल खसरा नम्बर 393, 394 एवं 395 का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वादपत्र को वाद संख्या 140/1995 पर दर्ज रजिस्टर किया। इसी प्रकार अपीलार्थीगण के पूर्वज प्रतिवादी कढेरु की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष आराजी खसरा नम्बर 394 रकबा 0.23एयर भूमि बाबत् वादीगण प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 225/1995 पर दर्ज रजिस्टर किया। विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर दोनों दावों में सम्मिलित रूप से 10 तनकीयात कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-03-2001 से वाद संख्या 140/1995 को डिक्री कर दिया तथा वाद संख्या 225/1995 को खारिज कर दिया।

4. विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध अपीलार्थीगण के पूर्वज कढेरु की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में दो अपील संख्या 321/2001 एवं 194/2001 प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय 28-04-2003 से खारिज कर दी। इसी निर्णय एवं डिक्री से

व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

5. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में दोनों अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि खसरा नम्बर 273 का कुल रकबा 28बीघा का था, जिसमें से अपीलार्थीगण ने खातेदार पार्वती से 05बीघा भूमि खरीदी थी जिसमें पार्वती की खातेदारी के हाल खसरा नम्बर 392 रकबा 0.62एयर, 394 रकबा 0.23एयर बने। खसरा नम्बर 392 रकबा 0.62एयरकोपार्वती ने विजयसिंह को विक्रय किया तथा खसरा नम्बर 394 रकबा 0.23एयर अपीलार्थीगण को विक्रय किया, उसी समय से कब्जा अपीलार्थीगण को प्रदान कर दिया था तथा प्रत्यर्थीगण के हिस्से में खसरा नम्बर 296 रकबा 0.22 एयर व 397 रकबा 0.23एयर आये। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन नहीं किया। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण काबिज काशत है तथा प्रत्यर्थीगण का विवादित आराजी पर कभी कोई कब्जा काशत नहीं रहा है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष दो वाद प्रस्तुत किये गये थे तो विचारण न्यायालय को दोनों दावों में अलग अलग तनकीयात कायम कर अलग अलग निर्णय पारित करना चाहिए था किन्तु विचारण न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों दावों एवं अपील का निस्तारण एक साथ कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त

किया जावे तथा विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के पूर्वज कटेरु की ओर से प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जावे।

7. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 273 रकबा 06बीघा के हाल खसरा नम्बर 393 से 396 बने परन्तु भू-प्रबन्ध विभाग ने गलती से प्रत्यर्थीगण को खसरा नम्बर 396 एवं 397 पर खातेदार दर्ज कर दिया जबकि हाल खसरा नम्बर 397 रकबा 0.93एयर पर उनका कोई कब्जा काश्त नहीं है, ना ही साबिक खसरा से हाल खसरा नम्बर 397 बना है। उनका कथन है कि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 396 का खातेदारी प्रत्यर्थीगण को दर्ज कर दिया किन्तु खसरा नम्बर 393 से 395 पर अपीलार्थीगण के पूर्वज को खातेदार दर्ज कर दिया। उनका कथन है कि मूल वाद में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उनके पक्षकार का कब्जा काश्त हाल खसरा नम्बर 393 से 396 पर माना गया है तथा खसरा नम्बर 397 रकबा 0.93एयर पर उनके पक्षकार का कब्जा काश्त नहीं माना गया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इसी तथ्य एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत समवर्ती निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्त्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को खारिज किया जावे।

8. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

9. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा

दोनों दावों में कायम की गयी तनकीयात पर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तनकी संख्या 1, 2 एवं 5 के निर्णय में यह माना गया है कि साबिक खसरा नम्बर 273 रकबा 06बीघा के नवीन खसरा नम्बर 393, 394, 395 एवं 396 कायम किये गये, जिनमें से भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 396 की खातेदारी तो प्रत्यर्थीगण के नाम दर्ज कर दी किन्तु शेष खसरा नम्बर 393, 394 एवं 395 की खातेदारी अपीलार्थीगण के पूर्वज कढेरू के नाम दर्ज कर दी तथा अन्य खसरा नम्बर 397 जिस पर प्रत्यर्थीगण का कब्जा काश्त नहीं था, उसकी खातेदारी प्रत्यर्थीगण के नाम दर्ज कर दी, जो खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 273 से नहीं बना। मूल वाद में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 दिनांक 18-4-1996 में भी नवीन खसरा नम्बर 393 से 396 पर प्रत्यर्थीगण का कब्जा काश्त माना गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तनकी संख्या 1, 2 एवं 5 को वादीगण प्रत्यर्थीगण के पक्ष में निर्णीत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसी प्रकार तनकी संख्या- 3 व 4 के निर्णय में विचारण न्यायालय द्वारा यह मानते हुए कि आराजी खसरा नम्बर 394 पर वादी अपीलार्थीगण के पूर्वज कढेरू का कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं होना मानते हुए उक्त दोनों तनकी संख्या 3 व 4 को अपीलार्थीगण के विरुद्ध निर्णीत किया गया है। इसी प्रकार तनकी संख्या 6 व 7 के निर्णय में खसरा नम्बर 394 पर प्रतिवादी अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं होना मानते हुए किसी प्रकार का स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना है। तनकी संख्या 8 व 9 के निर्णय में विचारण न्यायालय द्वारा यह मानते हुए भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत इन्द्राज दर्ज कर देने से गलत इन्द्राज के आधार पर गलत खसरा नम्बर की रजिस्ट्री पार्वती द्वारा अपीलार्थीगण के पूर्वज कढेरू के पक्ष में निष्पादित कर दी, जिसकी शुद्धि के सम्बन्ध में वादी अपीलार्थीगण नियमानुसार वाद प्रस्तुत कर सकते हैं तथा वर्तमान वाद में पारित निर्णय

का उक्त वाद पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तनकी संख्या-10 के निर्णय में विचारण न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 397 को वादीगण प्रत्यर्थीगण की खातेदारी से पृथक किया है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दोनों दावों में पक्षकारान की ओर से उल्लेखित अभिकथनों के आधार पर सम्मिलित रूप से कायम की तनकीयात पर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

10. इसी प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों में प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए तनकीवार अपीलाधीन विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है, जिनमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये हो। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

11. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28-04-2003 एवं सहायक कलक्टर, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-03-2001 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष